आदेश पर की
बारे में टिप्पणी तारीख

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिवीजन वाद सं0 08/2021–22

विशु मरांडी.....आवेदक

बनाम

पकु बास्की.....विपक्षी

आदेश

22.03.2022

यह रे0मि0 रिवीजन वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0–95/18–19 में पारित आदेश दिनांक–11.08.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

1. आवेदक गैंजर प्रधान के वशंज है।

2. विपक्षी के पति की नियुक्ति संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत हुआ था, जिसके विरूद्ध माननीय आयुक्त संथाल परगना प्रमण्डल दुमका के न्यायालय में लंबित है, जिसका वाद सं0– रे0मि0 रिवीजन 23/2018 है।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इन तथ्यों पर अनदेखी करते हुए विपक्षी को प्रधान पद पर नियुक्ति किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित है कि मौजा के अंतिम प्रधान छुबन सोरेन थे, जिनकी मृत्यू दिनांक–21.11.2018 को हो चुकी है। विपक्षी पूर्व प्रधान छुबन सोरेन की पत्नी है। इसी आधार पर उन्हें मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है

प्रावधान

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–6 :–

1. **Sec-6 Landlord to report the death of village headman.** – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.
2. Appointment of Pradhan-Non –Khas village-Provisions of Section 6 of the Act attracted-Office is hereditary in nature –Next heir who is fit, is entitled to be the Headman-Sub-Divisional Officer competent to ascertain the views of Jamabandi Raiyats of the village.

निष्कर्ष

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध तथ्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी पूर्व प्रधान की पत्नी है। विपक्षी के पति के प्रधान पद पर नियुक्ति के विरूद्ध माननीय आयुक्त के न्यायालय में मामला लंबित है, किन्तु उक्त अपील/रिवीजन वाद में स्थगन आदेश पारित नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा विपक्षी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत किया गया नियुक्ति सही प्रतीत होता है।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है, जिसे बरकरार रखते हुए आवेदन को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.27 16:13:52 +05:30
Location: 169.254.227.244